

(प्रपत्र-2)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, नागौर - राज0

क्रमांक-शिविना/प्रार/सा-1/मान्यता-नवीनीकरण/2012-13/7437 दिनांक- 19/11/12

संस्था का नाम- टेगोर इंटरनेशनल स्कूल, आनंदपुरा

पंचायत समिति- कुचामन

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 3-01-12 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं टेगोर इंटरनेशनल स्कूल, आनंदपुरा जिला नागौर को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता (माध्यम हिन्दी) प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

1. संस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि 30 मार्च 2013 तक आर0टी0ई0के मानदण्ड पूर्ण नहीं कर पायेगी तो संस्था की मान्यता स्वतः ही समाप्त कर दी जायेगी ।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
3. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
4. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
6. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा ।
7. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निश्काशित नहीं किया जायेगा ।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न से अधीन नहीं किया जायेगा ।

Principals

PRINCIPAL

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं वि: जायेगी ।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
5. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है । पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :—
 अ—विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 ब— कुल निर्मित क्षेत्र
 स— क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
 द— कक्षाओं की संख्या
 य— प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिये कक्ष
 र— बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय
 ल— पेयजल सुविधा
 व— मिड—डे—मील पकाने के लिये रसोई
 ह— बाधारहित पहुच
 स— अध्यापन पठन सामग्री/क्रिया खेल—कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी ।
11. विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधिन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यवित्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिएँ और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिएँ तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिएँ प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिएँ ।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 399 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें ।

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यक्रम की कमीयों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

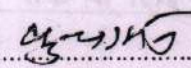
भवदीय,



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर
दिनांक—

क्रमांक—सम/2012/

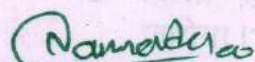
प्रतिलिपि:—

01. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, 

02. कार्यालय प्रति



जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक, नागौर



PRINCIPAL

Tagore International School
Anandpura, Kuchaman City